| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>हडमानाराम बनाम किशनलाल<br>प्रकरण संख्या 25/2017 | नम्बर व ताराख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 25.11.2022 | पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 पर सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस करतें हुए कथन किया कि वादीगण के पिता की खातेदारी का खेत खसरा नंबर 303 तादादी 52 बीघा 2 बिस्वा रोही गोजा ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ को वादीगण के पिता ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा नत्थूसिंह पुत्र अमरसिह को विक्रय कर दिया जिसका इंतकाल संख्या 54 दिनांक 23.12.1966 को दर्ज हुआ। नत्थूसिंह ने दिनांक 15. 06 1968 को उक्त खेत जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा भंवरलाल पुत्र हडमानाराम को विक्रय कर दिया। भंवरलाल ने उक्त खेत को पूर्णाराम पुत्र देदाराम जाट को उतरी तरफ का 26 बीघा 1 बिस्वा व दक्षिणी तरफ का 26 बीघा 1 बिस्वा को गीतादेवी पत्नी मूलाराम जाट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय के द्वारा विक्रय कर दिया। उक्त खेत की वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 रिर्कोडेड काबिज खातेदार है व खेत खसरा नंबर 393 तादादी 33 बीघा 2 बिस्वा को वादीगण के पिता ने दिनांक 05.002.1975 को सोहन पुत्र प्रभूराम को विक्रय कर दिया। सोहनराम की मृत्यु के बाद उक्त खेत की खातेदारी सोहनराम के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 रिर्कोडेड व काबिज खातेदार है। इसी प्रकार खसरा नंबर 457 तादादी 35 बीघा 1 बिस्वा रोही ठुकरियासर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा रामू पुत्र फुसा नाई को विक्रय कर दिया। रामू की मृत्यु के बाद उक्त खेत की खातेदारी विरासतन उके जायज वारिसान के प्रतिवादी संख्या 11 ता 17 के नाम से दर्ज हो गया जो रिर्कोडेड व काबिज खातेदार है। वादीगण ने उक्त दावा अनुसुचित जाति का सदस्य होने के आधार पर वादगत खेतो की खातेदारी प्राप्त करनें के अनुतोष का उक्त दावा प्रस्तुत किया है। चूंकि बावरी जाति सन 1977 से पूर्व अनुसूचित जाति में सम्मलित नही की गई थी। बावरी जाति को सन 1977 के बाद अनुसूचित जाति के वर्ग में सम्मिलित किया गया था। वादगत खेतो के विक्रय पत्र सन् 1975 से के है। जिस समय वादगत खेत विक्रय किये गये थे उस समय बावरी जाति अनुसूचित जन जाति के वर्ग में नही थी। वादीगण ने उक्त दावा मे वादगत खेतो के विक्रय पत्रों को किसी प्रकार से सक्षम सिविल न्यायालय मे चैलेज नहीं किया है। वादगत खेतो का विक्रय पत्र विधि सम्मत रूप से सम्पादित हुये थे। वादीगण को उक्त दावा में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करनें का अधिकार नहीं है। वादीगण को उक्त दावा मे वादधार प्राप्त नही है। वादीगण का दावा इसी स्टेज पर विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वादगत खेतों के संबंध में पूर्व में मुकदमा संख्या 23/90 अनुवानी स्टेट बनाम हरिया को दिनांक 30.07.1990 को निर्णय कर दिया। इस प्रकार मुकदमा संख्या 24/90 अनुवानी स्टेट बनाम हरिया आदि को दिनांक 30.07. 1990 को निर्णित कर वादगत खेतो के विक्रय पत्रों को मान्य न्यायालय विधि सम्वत माना गया है। ऐसी स्थिति में वादगत खेतो के संबंध में मान्य न्यायालय द्वारा पूर्व मे भी निर्णय पारित किये जा चुके है। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा जाब्ता दिवानी की धारा 11 की परिधि में आता है। फलस्वरूप वादीगण का दावा खारिज किये जाने योग्य है। एवं अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मुकदमा संख्या 23/90 अनुवानी स्टेट बनाम हरिया निर्णय दिनांक 30.07.1990 एवं मुकदमा संख्या 24/90 अनुवानी स्टेट बनाम हरिया निर्णय दिनांक 30.07.1990 SCHEDULE CASTES IN RAJASTHAN दिनांक 20.09.1976 की फोटो प्रति पेश की गई।<br><br>वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया कि प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र बिल्कुल ही गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है व खारिज किए जाने योग्य है। वादीगण के पिता स्व. हिराराम उर्फ हरिया अनुसूचित जाति का सदस्य था। जिसकी नासमझी का फायदा उठकार | |

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वादगत खेतों का विक्रय पत्र गैर अनुसूचित जाति के सदस्यों के नाम अवैध तरीके से हस्तान्तरित करवा ली। वादीगण के पिता के खेतो का हस्तान्तरण गैर अनुसूचित जाति के सदस्यों के पक्ष में गलत रूप से करवाया गया वे विक्रय पत्र शुरू से शून्य व अवैध है। कानूनी रूप से शुरू से ही शून्य व अवैध दस्तावेज को किसी भी न्यायालय मे कानूनी रूप से चेलेन्ज करने की आवश्यकता नही होती है। धारा 42 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के तहत भी अनुसूचित जाति के खातेदार सदस्य गैर अनुसूचित जाति के सदस्य के पक्ष में किए गये विक्रय, दान तथा वसियत शून्य होगा। इसके अलावा वादीगण ने वादगत खेतो के सम्बन्ध में घोषणात्मक आदि का उक्त दावा पेश कर रखा है। जिस पर धारा 11 सीपीसी की किसी भी प्रकार से लागु नहीं होती। प्रतिवादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र बिल्कुल ही गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो खारिज किए जाने योग्य है। एवं अपने जवाब के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय की नजीर आरआरडी–14.5.2014 पेज संख्या 272–273 एवं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 अन्तर्गत धारा 42 पेज संख्या 82 पेश की गई।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादीगण के पिता की खातेदारी का खेत खसरा नंबर 303 तादादी 52 बीघा 2 बिस्वा रोही मोजा ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ को वादीगण के पिता ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा नत्थूसिंह पुत्र अमरसिह को विक्रय कर दिया जिसका इंतकाल संख्या 54 दिनांक 23.12.1966 को दर्ज हुआ। नत्थूसिंह ने दिनांक 15.06 1968 को उक्त खेत जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा भंवरलाल पुत्र हडमानाराम को विक्रय कर दिया। भंवरलाल ने उक्त खेत को पूर्णाराम पुत्र देदाराम जाट को उतरी तरफ का 26 बीघा 1 बिस्वा व दक्षिणी तरफ का 26 बीघा 1 बिस्वा को गीतादेवी पत्नी मूलाराम जाट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय के द्वारा विक्रय कर दिया। उक्त खेत की वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 रिर्कोडेड काबिज खातेदार है व खेत खसरा नंबर 393 तादादी 33 बीघा 2 बिस्वा को वादीगण के पिता ने दिनांक 05.02.1975 को सोहन पुत्र प्रभूराम को विक्रय कर दिया। सोहनराम की मृत्यु के बाद उक्त खेत की खातेदारी सोहनराम के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 रिर्कोडेड व काबिज खातेदार है। इसी प्रकार खसरा नंबर 457 तादादी 35 बीघा 1 बिस्वा रोही ठुकरियासर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा रामू पुत्र फुसा नाई को विक्रय कर दिया। रामू की मृत्यु के बाद उक्त खेत की खातेदारी विरासतन उनके जायज वारिसान के प्रतिवादी संख्या 11 ता 17 के नाम से दर्ज हो गया जो रिर्कोडेड व काबिज खातेदार है। वादीगण ने उक्त दावा अनुसुचित जाति का सदस्य होने के आधार पर वादगत खेतो की खातेदारी प्राप्त करनें के अनुतोष का उक्त दावा प्रस्तुत किया है। चूंकि बावरी जाति सन 1977 से पूर्व अनुसूचित जाति में सम्मलित नही की गई थी। बावरी जाति को सन 1977 के बाद अनुसूचित जाति के वर्ग में सम्मिलित किया गया था। वादगत खेतो के विक्रय पत्र सन् 1975 से ही पूर्व के है। जिस समय वादगत खेत विक्रय किये गये थे उस समय बावरी जाति अनुसूचित जन जाति के वर्ग में नही थी। वादगत खेतो का विक्रय पत्र विधि सम्मत रूप से सम्पादित हुये थे। अतः वादगत खेतो के संबध में मुदमा नंबर 23/90 अनवान स्टेट बनाम हरिया निर्णय दिनांक 30.07.1990 व मुकदमा नंबर 24/90 अनवान स्टेट बनाम हरिया निर्णय दिनांक 30.07.1990 को निर्णित कर वादगत खेतो के विक्रय पत्रों को विधि सम्मत माना गया है। ऐसी स्थिति में वादी का दावा विधि विरूद्ध होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)